संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्रमांक3 / डी.डी.3 / पी.एन.डी.टी. / 2016 / 2115 भोपाल, दिनांक 15/11/2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला समुचित प्राधिकारी,
पी.सी.पी.एन.डी.टी. म.प्र.।

विषय–पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट के अंतर्गत निरीक्षण प्रकिया को सुदृढ करने हेतु शिकायत प्राप्ति वेबसाइटwww.hamaribitiya.in के संबध में।

संदर्भ–प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. पी. एन.डी.टी. / 13 / 25, भोपाल दिनांक 21.1.2013।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो, जिसके द्वारा प्रदेश में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा यू. एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से शिकायत प्राप्ति वेबसाईट www.hamaribitiya.in जनवरी 2013 से प्रारंभ की गई थी, जिसपर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक्ट के उल्लघंन के संबध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इन शिकायतों का विधिक निस्तारण करना संबधित जिला समुचित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है। उक्त शिकायतों का निस्तारण के दौरान समुचित प्राधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण कर शिकायत पर की गई कार्यवाही से संबधित विवरण में वेबसाइट में दर्ज किया जाना था, परंतु राज्य स्तर पर उक्त वेबसाइट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि अधिकाशंतः जिलों से वेबसाइट में कम शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिसका कारण संभवतः समाज में वेबवाइट के संबध में व्यापक प्रचार प्रसार ना होना है, एवं जिन जिलों से शिकायतें प्राप्त हुई है उन जिलों द्वारा प्राप्त शिकायतों का संज्ञान एवं उस पर कार्यवाही कर उसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर दर्ज नहीं कराई जा रही है। अतः कृपया उक्त वेबसाइट का अपने संबधित जिलो में व्यापक प्रचार प्रसार कराकर वेबसाइट में प्राप्त शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

वेबसाइट के संबध में विस्तृत जानकारी तथा यूजर नेम एवं पासवर्ड आपको पूर्व में संदर्भित पत्र के माध्यम से एवं ई–मेल के माध्यम से भेजा जा चुका है। एवं आपकी सुविधा हेतु पुनः ई–मेल के माध्यम से भेजे जा रहे है।

(डॉ. बी.एन.चौहान)
संचालक,एन.एच.एम
एवं
अध्यक्ष राज्य सक्षम प्राधिकारी,
पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट
मध्य प्रदेश

क्रमांक3 / डी.डी.3 / पी.एन.डी.टी. / 2016 / भोपाल, दिनांक / / 2016

प्रतिलिपि–सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.।
3. मिशन संचालक एन.एच.एम.,भोपाल मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.। की और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक,एन.एच.एम
एवं
अध्यक्ष राज्य सक्षम प्राधिकारी,
पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट
मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश

लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्र. /2014/ 96/PS(H)/14 भोपाल, दिनांक / /2014 26/05/14

प्रति

समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्य प्रदेश।

विषयः **'हमारी बिटिया अभियान'** के अंतर्गत जिलों द्वारा पी.सी.एन.पी.डी.टी अधिनियम क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश।

जनगणना 2011 के अकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के शिशु लिंग अनुपात में 14 बिन्दुओं (932-918) की गिरावट आई है। गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात को नियंत्रित करने के लिए एवं पी.सी.एन.पी.डी.टी अधिनियम के क्रियान्वयन को सुदृढ करने के लिए 'हमारी बिटिया अभियान' के अंतर्गत प्रत्येक जिले में प्रति सप्ताह 5 केन्द्रों का निरीक्षण, जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत जिला निरीक्षण दल द्वारा किया जाना अनिवार्य है। निरीक्षण की रिपोर्ट राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रति गुरुवार डाक तथा e-mail से भेजा जाना अनिवार्य होगा। जिलों मे राज्य समुचित प्राधिकारी को भेजी जाने वाली उपरोक्त जानकारी का प्रारुप इस पत्र के साथ संलग्न है।

जिले द्वारा दी जाने वाली जानकारी के महत्वपुर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

१. निरीक्षण किये गए केन्द्रों का विवरण एवं जानकारी
२. उल्लंघन पाए जाने पर की गयी कार्यवाही
३. जिले में संचालित अपंजीकृत केन्द्रों का विवरण
४. www.hamaribitiya.in पर दर्ज शिकायतों पर कर्यवाही।
५. जिला सलाहकार समिति कि बैठक।
६. स्टिंग ऑपरेशन के अंतर्गत कि गयी कार्यवाही

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं के अंतर्गत उचित कार्यवाही कर, दी गयी समयावधि में 'हमारी बिटिया अभियान' के अंतर्गत अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव
O/C मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्र. /2014/ 97/PS(H)/14 भोपाल,दिनांक / /2014 26/05/14

प्रतिलिपि:सूचनार्थ।

१. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
२. मिशन संचालक, एन.एच.एम, मध्य प्रदेश।
३. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्य प्रदेश।
४. समस्त जिला कल्लेक्टर, मध्य प्रदेश।

प्रमुख सचिव
O/C मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(32) (2)

मध्य प्रदेश

लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्र. / 2014/ 92/PS(H)/14 भोपाल, दिनांक / / 2014 26/03

प्रति

कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी
पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी अधिनियम
भिंड/मुरैना,मध्य प्रदेश

विषय: राष्ट्रीय पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी निरीक्षण दल द्वारा जिले में 12/03/2014 एवं 13/03/2014, के निरीक्षण के सम्बन्ध में ।

दिनांक 12-13/03/2014 को भिंड एवं मुरैना जिलो में राष्ट्रीय पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी निरीक्षण दल द्वारा किये गए निरीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु:

1. जिले में अपंजीकृत अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्र संचालित हैं ।
2. पंजीकृत अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपंजीकृत केन्द्रों पर सील और जप्ती की उचित कार्यवही कर (धारा 30) न्यायलय में परिवाद दायर करे । अधिनियम के अंतर्गत की गयी सील की कार्यवाही को न्यायलय के आदेश द्वारा ही खोला जा सकेगा [नियम 11(2)] |पंजीकृत केन्द्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें ।

प्रमुख सचिव
o/c मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ क्र. /2014/ 93/PS(H)/14 भोपाल,दिनांक / /2014 26/3/14

प्रतिलिपि:सूचनार्थ ।

१. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
२. आयुक्त, चम्बल संभाग, मध्य प्रदेश ।
३. मिशन संचालक, एन.एच.एम, मध्य प्रदेश ।
४. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्य प्रदेश ।
५. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिंड/मुरैना ।

प्रमुख सचिव
o/c मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग